रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान जी,

ग्राम रिछपाणी बास के खातासं. अ33 के ख.नं. 567/403 ता0 1.84 है0 व 569/404 ता. 3.25 है0 भूमि काश्तकार ज्ञानाराम पुत्र मोयाराम जाति जाट निवासी रीड़ी के नाम दर्ज है। खातेदार ज्ञानीराम का पहचान के समस्त दस्तावेजों में नाम ज्ञानीराम है। जिसे प्राचीन राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहता है। उक्त भूमि B.O.B. श्रीडूंगरगढ़ के रहन दर्ज है। रिपोर्ट सादर पेश है। शुद्ध किया जाना उचित है।

Maing 22-3-2023
पटवारी

श्रीमान जी,

नियमानुसार दुरुस्ती किया जाना उचित है।

22-3-23
TLR Sadulpur

रिपोर्ट तहसीलदार/ नायब तहसीलदार

श्रीमानजी,

शुद्धि उचित है अनुमोदित है।

22/3/23
तहसीलदार (भू.अ.) श्रीडूंगरगढ़

आदेश : शुद्धि/2023/966
22.03.2023

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

प्र.नं. 36/2023 निर्णय दिनांक: 27.3.2023

Order No. 2023/74

ज्ञानीराम बनाम स्टेट

पटवारी हल्का बाना, भू.अ. निरीक्षक श्रीडूंगरगढ़ एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के आधार पर ग्राम रिछपाणी-बास के खाता संख्या 343 ख.नं. 567/403 ता. 1.84 है. व ख.नं. 569/404 में दर्ज खातेदार का अशुद्ध नाम ज्ञानाराम पुत्र मोयाराम जाति जाट साकिन रीड़ी खातेदार के स्थान पर शुद्ध नाम ज्ञानीराम (शेष यथावत) दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण किये जाने का आदेश दिया जाता है, शेष [illegible] यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित [illegible]

आदेश आज दिनांक 27.3.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पक्षकार [illegible] में उपस्थित होकर हस्ताक्षरकर्ता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.04.05 17:20:25 IST
Reason: SelfAttested